

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक २०७ अलवर, २००९-२०१०

यह प्रमाणित किया जाता है कि जाय शैला राम राजकीय कला महाविद्यालय

इल्लुमिनी इन्स्टीट्यूशन कला जिला अलवर का


राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958) के

अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक २०१०

माह ३१ १२ २००९ सन् २००९-२०१० को अलवर में दिया गया।




रजिस्ट्रार संस्थाये
अलवर